राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लि0
उद्योग भवन, तिलक मार्ग– जयपुर–302005

क्रमांकः– ए.2(6)460/2010
दिनांकः– ~~3. अक्टूबर~~ 2014
सितम्बर

परिपत्र

सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 से किया जाना सुनिश्चित किया गया है। अतः मुख्यालय एवं समस्त इकाई कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त तिथि को दोपहर 1.35 बजे तक कार्यालय खुले रखेगें एवं नीचे दिये गये दिशा–निर्देशों की अक्षरसः पालना करेगें।

2 अक्टूबर 2014 को निगम के समस्त् अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण अपराह्न 1.30 बजे स्वच्छता पर शपथ लेगें।

मुख्यालय एवं इकाई कार्यालयों द्वारा ठोस प्रभाव (Demonstrative effect) दिखाई देने की दृष्टि से साफ–सफाई कराई जावें।

मुख्यालय एवं इकाई कार्यालय दोपहर 1.35 बजे तक खुले रहेगें इनकी सम्पूर्ण साफ–सफाई स्वंय सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण करेगें साथ ही सबसे साफ कमरों को सम्मानित किया जावें।

साफ–सफाई से संबंधित होने वाली गतिविधियों के फोटोग्राफ/वीडियो क्लिप विशेषकर साफ किये गये इलाकों के " पहले और बाद" के दृश्य जिन्हें भारत सरकार की बेबसाइट पर अपलोड किये जाने है को मुख्यालय में प्रेषित करें ताकि उन्हें अपलोड किया जा सकें।

राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं शपथ पत्र की प्रति भी पालनार्थ संलग्न की जा रही है।

3-|9|14

(श्याम लाल गुर्जर)
सलाहकार(एएण्डएम)

प्रतिलिपिः–

1. समस्त् नियंत्रक अधिकारी।
2. समस्त् इकाई प्रभारी।
3. कार्यालय आदेश पत्रावली
4. नोटिस बोर्ड।

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांकः प.25(6)साप्र/2/2014 जयपुर, दिनांकः 29.09.2014

—: **आदेश** :—

दिनांकः 02 अक्टूबर, 2014 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयन्ति के अवसर पर **"स्वच्छ भारत की परिकल्पना"** के लक्ष्य को अर्जित करने व इस हेतु जागरूकता बढाने के उद्देश्य से दिनांकः 02 अक्टूबर, 2014 को सभी राजकीय विद्यालय एवं सरकारी कार्यालय प्रातः महात्मा गांधी जयन्ति के कार्यक्रम से लेकर अपराह्न 01.35 बजे तक खुले रखे जाए और राजकीय भवनों की सम्पूर्ण सफाई स्वयं अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण करें एवं प्रत्येक स्कूल तथा प्रत्येक कार्यालय में सबसे साफ कमरों को सम्मानित किया जाए। इसी दौरान दोपहर 01.30 बजे स्वच्छता पर निर्धारित शपथ का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाये।

राज्यपाल महो0 की आज्ञा से—

(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राज0 जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवगण/प्रमुख शासन सचिवगण/शासन सचिवगण।
4. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर सहित)
5. शासन सचिवालय के समस्त विभाग अनुभाग प्रकोष्ठ।
6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
7. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
9. पंजीयक, राजस्व मण्डल।
10. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग।
11. प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान/प्रबन्धक, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस/राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, नई दिल्ली/ प्रबन्धक, राजस्थान भवन, वाशी मुम्बई।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छता शपथ

महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनैतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी।

महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया।

अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर कर के भारत माता की सेवा करें।

मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा।

हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान कर के स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा।

मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा।

सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मुहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा।

मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं।

इस विचार के साथ मैं गांव–गांव और गली–गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा।

मैं आज जो शपथ ले रहा हूं, वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा।

वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा।

मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।'

Government of Rajasthan
Rural Development and Panchayati Raj Department
(Panchayati Raj)

No.F. ( )PRD/CCDU/2014/3557 Jaipur, Dated: 29-09-2014

Revised Meeting Notice

A meeting will be held at 9.30 AM on 30th September, 2014, under the Chairmanship of Chief Secretary, Rajasthan in the Conference Hall (Main Building), Secretariat, Jaipur. In the meeting discussions will be held on **"Swachha Bharat Abhiyan"** programme. All the ACSs/Principal Secretaries/Secretaries are requested to attend the meeting.

PS
29-9-14

(Rajesh Yadav)
Secretary & Commissioner

Copy to:
1. PS to CS, Rajasthan
2. PS to ACS, All
3. PS to Principal Secretary, All
4. PA to Secretary, All
5. Caretaker, Secretariat, Jaipur to book the Conference Hall and for necessary arrangements.
6. Store Keeper, PRD for necessary arrangements.

Additional Commissioner

D:\Additional Commissioner\Meeting Note 30-9-14.docx

राजस्थान सरकार

मंत्रिपरिषद की आज्ञा

147 / 2014

दिनांक 25 सितम्बर, 2014 को आयोजित मंत्रिपरिषद् की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अनुमति से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, नगरीय विकास विभाग एवं स्थानीय निकाय विभाग द्वारा "राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान" के संबंध में प्रस्तुत अनौपचारिक टिप्पणी पर विचार–विमर्श कर निम्न मुख्य मुद्दों पर निर्णय लिये गयेः–

1. गॉधी जी की 150वीं वर्षगांठ, 2 अक्टूबर 2019, तक स्वच्छ भारत की परिकल्पना के लक्ष्य को अर्जित करने हेतु, तथा राज्य को खुले में शौच मुक्त किए जाने के उद्देश्य, से माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट भाषण के दौरान की गई घोषणा के अनुसार राज्य को आगामी 3 वर्षों में ही (वर्ष 2017–2018 तक) राज्य को खुले में शौच से मुक्त करने का पूर्व में निर्णय लिया जा चुका है। इसके लिए खुले में शौच से मुक्त करने की घोषणा को साकार रूप देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे 115 लाख परिवारों में से शौचालय विहीन लगभग 83 लाख परिवारों के शौचालय निर्माण किए जाएंगे।

अभियान की सफलता हेतु जागरूकता के लिए कार्यवाही –

2. स्वच्छता सप्ताह के दौरान दृश्य एवं सामाजिक मिडिया एवं रेडियो के माध्यम से स्वच्छता गतिविधियों की आवश्यकता प्रतिपादित की जावे।

3. स्वच्छता जागरूकता सप्ताह के दौरान विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता दौड का आयोजन सभी जिलों में यह क्रीड़ा परिषद् द्वारा जिला कलक्टर की देख रेख में किया जाएगा। दौड़ से पूर्व सम्पूर्ण स्वच्छता पर प्रेरक उद्बोधन, प्रश्नोत्तरी एवं पुरस्कार वितरण तथा स्वच्छता–संदेश आधारित नुक्कड नाटक की गतिविधियॉ भी आयोजित की जावे।

4. स्वच्छता सप्ताह के समापन पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बालक एवं बालिकाओं के लिए स्वच्छता के मुद्दे पर निबन्ध एवं चित्रकला की प्रतियोगिता का आयोजन शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जावे।

5. जिला एवं ब्लॉक स्तर पर स्वच्छता रथ यात्रा निकाली जाएगी जो जिला/ब्लॉक मुख्यालय से आरम्भ होकर ग्राम पंचायतों से गुजरते हुए 2 अक्टूबर को ब्लॉक/जिला मुख्यालय में आकर समाप्त होगी। इस हेतु समस्त जिला प्रमुख एवं प्रधानों के जुड़ने की आशा की जाती है। यात्रा के दौरान नुक्कड़ नाटकों एवं एल.सी.डी. के माध्यम से स्वच्छता संदेश दिया जावे।

अभियान में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए

6. अभियान के लिए स्थानीय समुदाय में जनभागीदारी हेतु सभी विभागों द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाए।

7. यह प्रयास किया जाए कि जनप्रतिनिधि, सभ्य समाज, विभिन्न संगठन, औद्योगिक घरानें एवं अन्य संस्थाएं उपरोक्त कार्यक्रम में सहयोग देकर पूरी तरह से जुड़ें।

8. राज्य अधिकारी, कर्मचारी, उनके परिवार से सीधे या उनके संघों के माध्यम से भागीदारी देने की आशा की जाती है।

2 अक्टूबर को की जानेवाली गतिविधियाँ (स्वच्छता शपथ)

9. सरकारी अधिकारियों/कार्मिकों एवं जनसमुदाय द्वारा समय 12.00 अपराह्न स्वच्छता पर शपथ (भारत सरकार से प्राप्त प्रारूप में) ली जावे। आशा की जाती है कि सभी मंत्रीगण, सांसद और विधायक अपने–अपने क्षेत्रों में रहकर शपथ लेंगे और अभियान को गति प्रदान करेंगे।

10. समस्त जिलों में सभी जन–प्रतिनिधिगण, सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच आदि द्वारा अपने–अपने क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान का दिनांक 02.10.2014 से प्रारम्भ कर इस अभियान को नेतृत्व प्रदान करेंगे और यह नेतृत्व प्रदान करते रहेंगे।

11. ग्राम पंचायतों/शहरी निकाय के वार्डो में खुले में शौच से मुक्ति के लिए समुदाय आधारित विविध गतिविधियों (घर, गली, पशुबाड़े, सड़कों, नालियों, सरकारी भवनों, सामुदायिक भवनों में साफ–सफाई) आयोजित की जावे।

12. निकायो में ठोस प्रभाव (Demonstrative effect) दिखाई देने की दृष्टि से घर, सरकारी, दफ्तर, स्कूल, हॉस्पीटल, सड़के, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, मूर्ति स्मारक, नदियां, झील, तालाब, पार्क और दूसरे जगहों की साफ–सफाई सामुदायिक सहभागिता से संबंधित विभाग करवायें।

13. शाला भवनों एवं सरकारी कार्यालय प्रातः गांधी जयंती के कार्यक्रम से लेकर 1 बजे तक खुले रखे जावें और इनकी सम्पूर्ण सफाई स्वयं सभी अधिकारी एवं कर्मचारी करें हर स्कूल में सबसे साफ कक्षा को और हर कार्यालय भवन में सबसे साफ कमरों को सम्मानित किया जाए। दोपहर 12 बजे शपथ भी आयोजित की जावें।

14. सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता दिवस के रूप में दिनांक 2 अक्टूबर को स्वच्छता विषय पर ग्राम सभा/वार्ड सभा का आयोजन किया जाकर जिला/ब्लॉक स्तर की तरह वार्ड/ग्राम पंचायत में स्वच्छता शपथ ली जावें और समस्त वार्ड/ग्राम की पूर्ण रूप से सफाई की जावे।

15. सभी सरकारी भवनों, विशेष तौर से स्कूल, हॉस्पीटल आदि की सफाई संबंधित अधिकारी करें और करवायें।

3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2014 तक कार्यक्रम को स्थायित्व प्रदान करने हेतु की जाने वाली गतिविधियॉं—

16. उपरोक्त अभियान को जारी रख कर स्थानीय समुदाय में जागरूकता एवं जन—भागीदारी से स्वच्छ भारत को एक आंदोलन (movement) का रूप दिया जावे।

17. आशा की जाती है कि जन प्रतिनिधि, सभ्य समाज, औद्योगिक घरानें एवं अन्य संस्थाएं इस कार्यक्रम में पूरी तरह से जुड़ेंगे और जुड़े रहेंगे।

18. उपरोक्तानुसार होने वाली गतिविधियों के फोटोग्राफ/वीडियो क्लिप लिये जाकर भारत सरकार की बेबसाइट पर जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर से अपलोड किये जावें। विशेषकर साफ किये गये इलाकों के ''पहले और बाद'' के दृश्य अपलोड किये जायें।

19. स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इसे पूरे राज्य में एक जन—आन्दोलन का रूप दिया जावे। राज्य में सम्पूर्ण स्वच्छता की सुनिश्चितता हेतु अभियान के दौरान पूरी व्यूह रचना एवं एक्शन प्लान बनाया जावे।

उपरोक्त समस्त गतिविधियों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों से समन्वय कर अभियान की प्रभावी कार्यवाही करने हेतु

राज्य स्तर पर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजन समिति गठित की जावे।

(राजीव महर्षि)
मुख्य सचिव

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव,नगरीय विकास विभाग।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

डी. 147/मं.मं./2014
जयपुर, दिनांकः 26 सितम्बर, 2014